बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
सं०सं०–पि०व० / छात्रवृत्ति–रा०यो०प्री मैट्रिक–06 / 10–

प्रेषक,

सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक–

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्य योजना के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति मद में आवंटित राशि की निकासी एवं वितरण के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय आवंटनादेश संख्या–1/छात्रवृत्ति–रा०यो०–प्री–मैट्रिक–06/2010–55 दिनांक–26.11.12 द्वारा आय–व्ययक मुख्य शीर्ष–2225 के अधीन लघुशीर्ष–198–ग्राम पंचायत के विरूद्ध ₹ 1000.00 लाख, लघु शीर्ष–197 के विरूद्ध ₹ 575.00 लाख एवं लघु शीर्ष–277 ,शिक्षा के विरूद्ध ₹ 56509.64 लाख अर्थात कुल ₹ 58084.64 लाख (रूपये पाँच अरब अस्सी करोड़ चौरासी लाख चौसठ हजार) आवंटित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में विद्यालय छात्रवृत्ति मद में कुल आवंटित राशि की निकासी जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा की जायेगी एवं सम्पूर्ण जिले में आवश्यकतानुसार राशि सीधे विद्यालय शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबंधन समिति के बैंक खाते में बैंक अंतरण के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में विद्यालय छात्रवृत्ति मद में आवंटित राशि को लघु शीर्ष के अनुसार ग्राम पंचायत या पंचायत समिति के लिए उपावंटन नहीं करना है।

अतः अनुरोध है कि विभागीय आवंटनादेश संख्या–55 दिनांक–26.11.12 द्वारा आय–व्ययक मुख्य शीर्ष–2225 के अधीन लघुशीर्ष–198–ग्राम पंचायत के विरूद्ध ₹ 1000.00 लाख, लघु शीर्ष–197 के विरूद्ध ₹ 575.00 लाख एवं लघु शीर्ष–277 शिक्षा के विरूद्ध ₹ 56509.64 लाख अर्थात कुल ₹ 58084.64 लाख (रूपये पाँच अरब अस्सी करोड़ चौरासी लाख चौसठ हजार) मात्र के विरूद्ध जिलावार आवंटित सम्पूर्ण राशि को अपने स्तर से निकासी कर प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति हेतु प्रत्येक जिला के सभी प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालयों की आवश्यकता के अनुसार राशि संबंधित विद्यालय शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबंधन समिति के बैंक खाते में हस्तांतरित करने की कृपा करें एवं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार छात्रवृत्ति वितरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– पि०व० / छात्रवृत्ति–रा०यो०प्री मैट्रिक–06 / 10–58 पटना–15, दिनांक–12-1-13

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(2) सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक कल्याण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव। 12.1.13

Letter of Princ.Secy.(Harry)